तीन एजेंसियां कर रही जांच : शराब ठेकेदारों द्वारा फर्जी डीडी में शासन के 8 करोड़ से अधिक राशि लगाए जाने के खिलाफ आबकारी अधिकारी ने 27 अप्रैल को बैंक बंधन और शराब ठेकेदारों समेत 27 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

- कोतवाली पुलिस द्वारा मामले

खुली अपील की है। लेकिन चीन इसे एनपीटी (परमाणु अप्रसार संधि) पर दस्तखत करने से जोड़ रहा है। उसका कहना है कि अगर भारत को एनपीटी से छूट दी जाए तो पाकिस्तान को भी वह छूट मिले। भारत का कहना है कि एक बार चीन समर्थन कर दे तो बाकी देशों का विरोध खत्म हो जाएगा।

मित्तल में मेगा जॉब फेयर का आयोजन

भोपाल। मित्तल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में विगत दिवस मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 600 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। इस तीन दिवसीय फेयर में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसिंड बैंक, ईजी सॉल्यूशंस प्रालि, अश्लार सिक्यूरिटीज प्रालि, पीके ग्रुप, आस्क ऑटोमोटिव, सेप्टाइल जियोटेक प्रालि आदि ने हिस्सा लिया। कंपनियों ने एप्टीट्यूड टेसट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बाद 106 छात्रों का चयन किया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(भारत सरकार का उद्यम)
www.bankofmaharashtra.in

1/14, प्रशासनिक जोन,
अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन : 2551003, 2573623

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित-का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बैंक के कब्जे में रखी गई संपत्ति की ई-नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत बैंक अपने बकाया देय की वसूली हेतु उनके पास बंधक रखी गई /प्रभारित निम्न वर्णित संपत्ति की नीलामी ''जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है'' के आधार पर एवं निम्नवर्णित नियम एवं शर्तों पर कर रहा है।

अरेरा कालोनी शाखा, भोपाल फोन : 0755 2420225/2460854.

निविदा में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र / केवायसी दस्तावेज / ईएमडी जमा करने की दिनांक 28.07.2016 दोपहर 3 बजे तक
ई-नीलामी की दिनांक 01-08-2016 समय दोपहर 12 से 2 बजे तक 5 मिनिट के असीमित विस्तार पर यदि बिड अंतिम 5 मिनिट में जमा होती है तो...

लाट नं.	उधारकर्ता एवं जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि जिस हेतु संपत्ति नीलामी की जा रही है	बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि
1	ऋणी- (1) मेसर्स ए.एम. ट्रेडलिंक्स (2) श्रीमती मल्लिका गर्ग पत्नि श्री अंकुर गर्ग प्रोपराइटर-मेसर्स ए.एम. ट्रेडलिंक्स जमानतदार- श्री अंकुर गर्ग सभी निवासी- ई-2/28, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) अन्य पता-केडी-81ए, कवि नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)	₹ 27823848/- - दिनांक 01.09.2015 से अप्रभारित ब्याज @ 13.50 % प्रतिवर्ष, पेनल ब्याज @ 2 % एवं अन्य खर्च मांग सूचना दि. 05.01.2016	बंधक संपत्ति रिहायशी भूमि पर निर्मित मकान स्थित ई-2/28, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) चर्तुसीमाएं उत्तर-रोड, दक्षिण- प्लाट नं. 29, पूर्व-प्लाट नं. 27, पश्चिम- रोड	₹ 7,03,50,000/- ₹ 70,35,000/- ₹ 50,000/-

1. ई-नीलामी ऑनलाइन होगी एवं ''जहां है जैसा है एवं जो कछ भी है ''के आधार पर की जायेगी। नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता मेसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, के वेबपोर्टल (https://www.bankeauctions.com) पर सम्पन्न होगी। ई-नीलामी निविदा प्रपत्र अर्थात ऑन लाईन ई-नीलामी बिड फार्म, घोषणा पत्र, नीलामी की सामान्य नियम एवं शर्तें दिनांक 28.06.2016 से वेबसाइट (https://www.bankofmaharashtra.in, https://tenders.gov.in) पर उपलब्ध है एवं इच्छुक निविदाकर्ता संबंधित दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें श्री दानिश खान 9111444797 ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com

2. प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पूर्व संपत्ति से संबंधित कोई प्रभार, संपत्ति का स्वत्वाधिकार, दावे, देयताएं आदि जो किसी भी प्रकार से संपत्ति को प्रभावित करते हो, के विषय में स्वतंत्र निरीक्षण एवं जानकारी प्राप्त करें ई-नीलामी प्रकाशन को बैंक की ओर से दी जाने वाली किसी प्रकार की प्रतिबद्धता, प्रतिनिधित्व न समझा जाये। उपरोक्त संपत्ति एवं उन पर सभी प्रकार के वर्तमान एवं भावी प्रभार/ऋण भार/दावे/स्वत्वाधिकार जो कि बैंक की जानकारी में है या नहीं है के सहित विक्रय की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी प्रकार से अन्य पक्षकार के दावे / अधिकार / देयता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इच्छुक निविदाकर्ता धरोहर राशि RTGS / NEFT / फण्ड ट्रांसफर के माध्यम से लाट नं. 1 की संपत्ति की खरीद हेतु खाता क्रमांक: 60191219855 खाते का नाम : Earnest Money लाभार्थी का नाम: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अरेरा कालोनी (1225), IFSC MAHB0001225 में जमा कर सकते हैं। अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो ''बैंक ऑफ महाराष्ट्र, संपत्ति लाट नं. ..... ऋणी का नाम ....'' के पक्ष में भोपाल पर देय होगा के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

4. निविदाकर्ता के पास ई-मेल आईडी होना अत्यंत आवश्यक है। (इच्छुक निविदाकर्ता को ई-मेल पर आईडी, पासवर्ड एवं संबंधित जानकारी मेसर्स सी-1 इंडिया प्रा. लि. द्वारा भेजी जायेगी)

5. इच्छुक निविदाकर्ता को धरोहर राशि जमा करने का प्रमाण जैसे (UTR क्रमांक) एवं ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ जैसे कि (1) आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे-वोटर आईडी कार्ड /ड्रायविंग लाइसेंस /पासपोर्ट इत्यादि (2) वर्तमान पते के प्रमाण पत्र (3) निविदाकर्ता की पेन कार्ड की प्रति, (4) वैध ई-मेल आईडी (5) सम्पर्क दूरभाष (मोबाइल /लैंड लाईन) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भोपाल के पास दिनांक 28.07.2016 दोपहर 3.00 बजे तक जमा करना होगा। इन दस्तावेजों की स्केन कापी उपरोक्त दर्शाए गए ई-मेल आईडी पर अपलोड करनी होगी।

6. बैंक ऑफ महाराष्ट्र भोपाल द्वारा वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने वाले योग्य निविदाकर्ताओं का चयन किया जायेगा। योग्य निविदाकर्ताओं को मेसर्स-सी-1, इंडिया प्रा. लि. द्वारा पेनकार्ड की जांच के पश्चात आईडी पासवर्ड प्रदान किया जायेगा।

7. इच्छुक निविदाकर्ता का दायित्व है कि वह निविदा जमा करने के पूर्व उपरोक्त संपत्तियों एवं उनके विवरण की जांच एवं निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही निविदा जमा करें।

8. सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि विक्रय मूल्य में समायोजित की जायेगी एवं असफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बिक्री की पुष्टि होने पर सफल निविदाकर्ता बिड मूल्य का 25 प्रतिशत (जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है) तुरंत जमा करना होगा एवं शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिन अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय समय सीमा के अंदर भुगतान करना होगा। विक्रय मूल्य का भुगतान उपरोक्त समय के अन्दर न करने पर जमा धन राशि जब्त कर ली जावेगी एवं संपत्ति की पुन: बिक्री की जायेगी और उस पर चूककर्ता निविदाकर्ता का किसी भी प्रकार का दावा नहीं रहेगा।

9. संभावित योग्य निविदाकर्ता ई-नीलामी हेतु प्रशिक्षण मेसर्स सी-1, इंडिया प्रा. लि. से ई-नीलामी दिनांक से पूर्व प्राप्त कर सकता है। प्राधिकृत अधिकारी / बैंक या सी-1 इंडिया लि. किसी भी बंद /त्रुटि (इंटरनेट बंद /लाईट जाने) के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इन स्थितियों से बचने हेतु एवं आपात कालीन परिस्थितयों हेतु निविदाकर्ता से निवेदन है कि वे सभी आवश्यक प्रबंध/विकल्प अपने पास रखें। जिससे वे ई-नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।

10. सफल क्रेता को आवश्यक स्टाम्प शुल्क, अतिरिक्त शुल्क पट्टा अधिकार अंतरण शुल्क, ट्रांसफर शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि /संपत्ति पर भुगतान की जाने वाली सांविधिक देयताएं एवं अन्य प्रभार, कर यदि कोई हो से संबंधित सभी व्यय का भुगतान करना होगा।

11. प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम निविदा या किसी भी निविदा को स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताए सर्वोच्च निविदा या किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत /निरस्त / स्थगित करने या संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया से वापस लेने का अधिकार होगा।

12. विक्रय प्रमाणपत्र सफल निविदाकर्ता के नाम से जारी किया जायेगा। विक्रय प्रमाणपत्र में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था का नाम जोड़ना/हटाना संभव नहीं होगा।

13. बैंक द्वारा विक्रय की पुष्टि एवं संपूर्ण राशि प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सफल निविदाकर्ता के नाम से जारी किया जायेगा।

सरफेसी नियम 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं /जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि वे नीलामी दिनांक के पूर्व बैंक को देय राशि का भुगतान करें अन्यथा उनकी बंधक संपत्ति नीलाम कर दी जावेगी।

दिनांक : 22.06.2016
स्थान : भोपाल

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र